

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः— करौदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.)— 482004

दूरभाषः— 9406900500 ई मेलः— रकेंदबीप/हउंपसण्बवउ

फ्लॉर रु 23 ||| श्रोता 0485क्स 6 ; दि ई 9001रु2015 — 22000रु2005 प्रमाणित संस्था) छद रु ||| श्रोता 0485क्स

श्वेत मक्खन भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज किराये पर लेने हेतु

ई—निविदा प्रपत्र (द्वितीय निविदा)

ई—निविदा प्रपत्र क्रमांक— 3580/जेएसडीएस/पीओ/2020/ दिनांक: 14.10.2020

निविदा खुलने का दिनांक— 10 नवम्बर 2020


जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः— करौदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.)— 482004

फोन नं. रु 9406900500 & 9399852009

मउंपसरु. रकेंदबीप/हउंपसण्बवउ & रकेचतवरमबज2020/हउंपसण्बवउ

ई—निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र)



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः— करौदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.)— 482004

दूरभाषः— 9406900500 ई मेलः— रकेंदबीप/हउंपसण्बवउ

क्रमांकः— 3580 / जेएसडीएस / पीओ / जबलपुर / 2020


दिनांक— 14.10.2020

ई-निविदा सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के द्वारा लगभग 200 मेट्रिक टन श्वेत मक्खन -18°C पर भण्डारण हेतु डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिकों से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्य प्रदेश ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट (**पूऱ्जचजमदकमतेण्हवअण्पद**) से दिनांक **19 अक्टूबर 2020** से क्रय की जा सकती है। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ की वेबसाइट पर (**पूऱ्जचबकण्हिवअण्पद**) देखा एव पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 09 नवम्बर 2020 समय दोपहर 3:00 बजे तक है। ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 10 नवम्बर 2020 को दुग्ध संघ कार्यालय से दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रमांक	विवरण	अनुमानित मात्रा	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र क्रय राशि
01	श्वेत मक्खन (ैपजम ठनजजमत) भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु	200 मेट्रिक टन	रु. 50,000.00 (रु. पच्चास हजार मात्र)	रु. 500.00 (रु. पाँच सौ मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः— करौदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.)— 482004

दरभाषः— 9406900500 ई मेलः— रकेंद्रबीप / हउंपसण्बवउ

<p style="text-align: center;"><u>निविदा प्रपत्र</u> निविदा कार्य — श्वते मक्खन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर किराये पर लेने हेतु ई—निविदा।</p>	
	ई—निविदा प्रपत्र का मूल्य
	रु. 500.00 /— (अक्षरी— रूपये पाँच सौ मात्र) व्दसपदम उवकम
1.	ई—निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ जारी करने की दिनांक एवं समय।
2.	ई—निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय
3.	ई—निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय
4.	ई—निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय
5.	ई—निविदा खुलने का स्थान कायोलय, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (म.प्र.) 482004
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (म.प्र.) 482004
7.	अमानत राशि रु. 50,000.00 (रु. पच्चास हजार मात्र) जीतवनही व्दसपदम डवकम
8.	सलंगन प्रपत्र 01— परिशिष्ट— (अ), सामान्य नियम एवं शर्त 02— परिशिष्ट— (ब), निविदाकर्ता की जानकारी (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्ता को भरना है।) 03— परिशिष्ट— (स), श्वेत मक्खन की प्रतिकिलो प्रतिमाह भंडारण हेतु दर।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर डीपफ्रीज/कोल्ड स्टोर मालिको से निविदा में दिये गये स्पेसिफिकेशन अनुसार श्वेत मक्खन भंडारण हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके संबंध में निविदाकारों को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जावेगा।

1.0 निविदा प्रस्तुतीकरण

1.1 निविदायें निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक एवं समय पर अथवा समय के पूर्व ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना होगी।

1.2 हस्ताक्षरकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि वह :—

(अ) फर्म का प्रोप्राइटर है अथवा फर्म के प्रोप्राइटर का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है।

(ब) यदि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये हैं, तो ऐसा किये जाने हेतु उसे अधिकार पत्र अथवा पार्टनरशिप कम्मक में इसका उल्लेख किया गया हो।

1.3 निविदाकार को स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में पता, ई—मेल, दूरभाष नं., मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी दी जानी होगी। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सचूना तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को दिया जाना होगा, ताकि परिवर्तित पते पर पत्राचार किया जा सके।

2.0 अमानत राशि

2.1 निविदाकार को रुपये 50,000.00 (पच्चास हजार रुपये मात्र) की अमानत राशि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम से ऑनलाइन जमा किया जाना होगा एवं ई—निविदा के साथ इसकी स्कैन कापी अपलोड करनी होगी तथा ऑनलाइन स्कैन कापी एवं परिशिष्ट 'ब' में वांछित जानकारी भरकर निविदा खुलने की तिथि एवं समय से दो घण्टे पूर्व जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। बिना अमानत राशि निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.2 प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्ता की जमा अमानत राशि अनुबंध पूर्ण होने पर भुगतान की जावेगी, द्वितीय न्यूनतम दर निविदाकर्ता की अमानत राशि प्रथम न्यूनतम दर निविदाकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत एवं असफल निविदाकर्ताओं की अमानत राशि निविदा खोलने की दिनांक से 30 कार्य दिवस में वापस की जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3.0 बैंक गारंटी

3.1 कार्य प्रारंभ होने से एक वर्ष (कार्य प्रारंभ होने के पूर्व) तक की राशि रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी निविदाकार को जमा की जानी होगी।

4.0 दर

- 4.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर में परिवर्तन से परे होना चाहिये ।
- 4.2 निविदा में दर प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जाना होगा कि उक्त दरें समस्त करो सहित हैं ।

5.0 भंडारण (तापक्रम भंडारण तथा निरीक्षण)

- 5.1 डीपफ्रीज / कोल्ड स्टोर में मक्खन का भंडारण -18°C सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाना होगा । परिसर में मक्खन का भंडारण तथा डीपफ्रीज / कोल्ड स्टोर की पर्याप्त स्वच्छता बरतनी होगी । मक्खन के भंडारण के पूर्व कोल्ड स्टोर को फ्यूमिगेट किया जाना होगा ।
- 5.2 मक्खन को स्वच्छ प्लास्टिक अथवा लकड़ी के तख्तों पर भंडारण किया जाना होगा ।
- 5.3 मक्खन का परिवहन सघं द्वारा किया जायेगा तथा इसकी लोडिंग एवं अनलोडिंग का व्यय सघं द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 5.4 डीपफ्रीज चेंबर का तापक्रम -18°C से कम निश्चित रूप से होना चाहिये ।
- 5.5 यदि संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मक्खन का तापमान -10°C सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है तो इसका पचनामा बनाया जायेगा एवं रुपये 10,000.00 (दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण की दर से दंड निरुपित किया जायेगा तथा मक्खन के तापक्रम को निरीक्षण के सात दिवस के अंदर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो मक्खन का पूरा स्टॉक अन्य शीतगृह में स्थानांतरित कर दिया जायेगा एवं इसके व्यय की प्रतिपूर्ति डीपफ्रीज मालिक के लंबित देयको से की जायेगी ।
- 5.6 जबलपुर सहकारी दुग्ध सघं के प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी पूर्व सचूना के कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज का निरीक्षण कर सकें ।
- 5.7 मक्खन का भंडारण इस प्रकार किया जाना होगा कि मक्खन के बक्सों की पक्कियों के बीच ठंडी हवा आ जा सके तथा मक्खन का नमूना सुविधापूर्ण ढंग से किया जा सके ।
- 5.8 मक्खन की स्टेकिंग की ऊँचाई डीप फ्रीज चेंबर में 11 बक्सों की ऊँचाई से अधिक नहीं होना चाहिये ।

6.0 बीमा

- 6.1 मक्खन का अग्नि एवं चोरी ,^थप्तम – जैमजिद्द बीमा जबलपुर सहकारी दुग्ध सघं द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा ।

7.0 भुगतान

- 7.1 निविदाकर्ता द्वारा निविदायें अनुमोदित दर से मासिक देयक प्रत्येक माह के अंत में प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- 7.2 भुगतान प्रत्येक माह की 10वीं, 20वीं एवं अंतिम दिनांक के अंतिम शेष के आधार पर किया जायेगा ।


8.0 सामान्य नियम एवं शर्तें

- 8.1 प्रथम: उक्त अनुबंध अवधि एक वर्ष हेतु रहेगी किंतु आपकी सहमति से अधिकतम दो वर्ष और कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ।

- 8.2 अपूर्ण पता अथवा पहचान के कारण निरस्त हुई निविदाओं की जवाबदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी । समयावधि में प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा ।
- 8.3 निविदा खुल जाने के पश्चात् निविदाकार को निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा ।
- 8.4 निविदा में किये गये सुधार/ओवरराइटिंग के स्थान पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिये ।
- 8.5 निविदा के साथ इनकम टैक्स क्लीयरेन्स प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 8.6 दरे परिशिष्ट— (स) में ही भरी जायें । सशर्त निविदाए स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 8.7 एक व्यक्ति/फर्म द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावे ।
- 8.8 एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- 8.9 निविदाकार संपूर्ण निविदा का कार्य या आंशिक भाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा ।
- 8.10 उच्च तापक्रम पर मक्खन के भंडारण के कारण मक्खन की गुणवत्ता, अधिक एफ.एफ.ए., ईस्ट एवं मोल्ड बढ़ने की संपूर्ण जवाबदारी कोल्ड स्टोर मालिक की होगी । इस प्रकार हुई संपूर्ण हानि की वसली डीपफ्रीज मालिक से मक्खन की तत्कालीन बाजार दर से की जावेगी एवं यह उस पर बंधनकारी होगा ।
- 8.11 निविदा भरते समय निविदाकार को उसकी कोल्ड स्टोर/डीपफ्रीज सबंधी समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।
- 8.12 भण्डारण के दौरान यदि भवेत मक्खन की मात्रा में कमी होती है तो उक्त मात्रा का तत्कालीन दर से कटौत्रा किया जावगे ।
- 8.13 श्वेत मक्खन का भंडारण संयंत्र में मक्खन की अतिशेष मात्रा अनुसार किया जावेगा । एवं वापसी संघ की आवश्यकतानुसार की जावेगी ।
- 9.0 अनुबंध का निरस्तीकरण**
- 9.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर को यदि वह आवश्यक समझता है तो यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को अपने स्वयं के निर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सके जिसके लिये कोल्ड स्टोर मालिक किसी तरह आपत्ति नहीं उठा सकेगा ।
- 10.0 विवाद की स्थिति का निराकरण**
- 10.1 निविदाकार के मक्खन समुचित रूप से ठंडा नहीं कर पाने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार पर बंधनकारी होगा ।
- 10.2 उपरोक्त नियम एवं शर्तों के पालन के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति के निराकरण के संबंध में अध्यक्ष जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

10.3 किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित, जबलपुर



जबलपुर सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः— करौदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.)— 482004

दूरभाषः— 9406900500 ई मेलः— रकेंद्रबीप/हउंपसण्बवउ

लैज रु 23 |||श्रो485वर्ग6 ; |द ५००१रु2015 — 22000रु2005 प्रमाणित संस्था) छंद रु |||श्रो485वर्ग

क्रमांकः— 3580/जेएसडीएस/पीओ/जबलपुर/2020

दिनांक— 14.10.2020

परिशिष्ट —ब

कोल्डस्टोर का विवरण

01. कोल्ड स्टोर यूनिट का नाम : _____

02. कोल्ड स्टोर यूनिट का पूर्ण पता : _____

03. दूरभाष नम्बर : _____

04. फैक्स नम्बर : _____

05. ई-मेल आईडी. : _____

06. પેન નંબર : _____

(पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

07. प्रोप्रायटर / प्रबंधक / पार्टनर का नाम : _____

08. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पद एवं नाम : _____

09. पजीयन प्रमाणपत्र/लायसेंस का विवरण

(पंजीयन प्रमाणपत्र / लायसेंस की छायाप्रति सलंग्न करें)

10-जी.एस.टी. नंबर : _____


11-क्या आपकी कोल्ड स्टोर यूनिट या सहभागी फर्म को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित / एमपीसीडीएफ या अन्य सहकारी दुग्ध संघ / म.प्र.शासन या भारत शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है ? हॉ / नहीं

यदि हॉ तो कारण देवे ।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोल्ड स्टोर युनिट

कोल्ड स्टोर की मोहर



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः— करौदा नाला इमलिया, जबलपुर (म.प्र.)— 482004

दरभाषः— 9406900500 **ई मेलः—** रकेंद्रबीप / हउंपसण्ववउ

प्र० 23 ||| श्रोता ०485क०६ द० १००१८०२०१५ - २२०००८०२००५ प्रमाणित संस्था) चंद रु ||| श्रोता ०485क०६

क्रमांक:— 3580 / जेएसडीएस / पीओ / जबलपुर / 2020

दिनांक— 14.10.2020

परिशिष्ट - स

दर प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	दर (प्रति किलो/प्रति माह) (अंकों में) (शब्दों में)	
01	25 किलो./20 किलो पैकिंग में श्वेतमक्खन का शीतलीकरण एवं भण्डारण		
02	कर (ज्ञा) यदि कोई हो तो		

धरोहर राशि का विवरण क्रमांक -----दिनांक-----

बैंक का नाम -----

राशि (अंकों में) रुपये-----

राशि (शब्दों में) रुपये -----

हमारे द्वारा निविदा के नियम एवं शर्त पूरी तरह से पढ़ ली गई है। एवं तदनुसार दरें प्रस्तुत की गई हैं।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोल्ड स्टोर यूनिट

कोल्ड स्टोर की मोहर